न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
सुमेर चन्द बनाम ग्राम पंचायत बालाहेडा मु.नं.– 06/25 किस्म – अपिल	

10-4-26 पीठासीन अधिकारी अन्य राज्य कार्य में व्यस्त होने से न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-4-26 को पेश हो।

20.4.26 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। अपील पर वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश अपील दिनांक 29.4.26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

29.04.26 पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
06/2025	29.07.2025	29.04.2026

बउनवान

सुमेर चन्द पुत्र हीरालाल, निवासी बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।

..अपीलांट

बनाम

1. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार मण्डावर, दौसा।

..रेस्पोन्डेन्ट

उपस्थित

1. अभिभाषक अपीलांट – श्री लीलाराम मीना।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 38 दिनांक 19.09.1998 द्वारा ग्राम पंचायत बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, दौसा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

1. यह अपील अपीलांट की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता इस आशय की पेश की है कि विवादित आराजीयात ग्राम बालाहेडा, पटवार हल्का बालाहेडा, तहसील बैजूपाडा, जिला दौसा में खतौनी संख्या 297 के खसरा सं. 2433/2890, रकबा 0.01 हैक्टे., खतौनी सं. 357 के खसरा सं. 4173/2588, 4174/2432, कुल किता 02 कुल रकबा 0.41 हैक्टे., में स्थित है जिसका अपीलान्ट हिस्सा 1/3 की खातेदारी काश्तकार है, शेष हिस्से के अन्य खातेदार काश्तकार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज चले आ रहे है। विवादित आराजीयात अपीलान्ट को अपीलान्ट के पिता रामकरण के स्वर्गवास के पश्चात विरासत में मिली हुई भूमि है जिसमें अपीलान्ट के पिता के स्वर्गवास के बाद नामांतरकरण संख्या 38 दिनांक 19.09.1998 दर्ज करते समय राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा सहवन से अपीलांट का नाम सोमोत्या पुत्र हारया दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट का सुमेर चन्द घर का बोलता नाम है। अपीलान्ट का सही नाम सुमेर चन्द है जो अपीलान्ट के आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जनआधार कार्ड, पहचान पत्र आदि सभी दस्तावेजात में अपीलान्ट का नाम सुमेर चन्द पुत्र हीरालाल दर्ज है जो सही है। अपीलान्ट को उक्त गलत नाम की पूर्व में कोई जानकारी नही रही है। अपीलान्ट को अपने पिता के स्वर्गवास होने पर भूमि पर राज्य सरकार के द्वारा देय प्रधानमंत्री किसान सहायता राशि प्राप्त करने के लिए जब आवेदन करने गया, तब अपीलांट को राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 19.09.1998 से अपीलान्ट का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने तहसीलदार बैजूपाडा के समक्ष उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा न्यायालय से नामांतरकरण दुरुस्त करवाने के लिए कहा। ऐसी सूरत में सिवाय अपील, अपीलान्ट के अलावा अन्य कोई चारा नहीं होने से अपील

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

नामांतरकरण संख्या 38 दिनांक 19.09.1998 में दर्ज अपीलान्ट के गलत नाम सोमोत्या पुत्र हारया के स्थान पर सुमेर चन्द पुत्र हीरालाल दर्ज करवाने हेतु अपील प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त गलत इन्द्राज के कारण भविष्य में अपीलांट व अपीलांट के वारिसान को विवादित आराजीयात का नामान्तरकरण खुलवाने या किसी भी प्रकार की निजी या सरकारी सुविधा प्राप्त करने में कनूनी अडचन पैदा होगी। इसलिए उसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। ऐसी सूरत में अपीलान्ट न्यायालय से नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 19.09.1998 में गलत अंकित किये गये नाम सोमोत्या पुत्र हारया के स्थान पर सुरेश चन्द पुत्र हीरालाल करवाने का विधिक अधिकारी है कि विवादित आराजीयात में अपीलांट के गलत नाम सोमोत्या पुत्र हारया को हजफ किया जाकर अपीलांट का सही नाम सुमेर चन्द पुत्र हीरालाल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जाये। अतः अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर नामांतकरण संख्या 38 दिनांक 19.09.1998 में अपीलांट के गलत दर्ज किये गये नाम सोमोत्या पुत्र हारया को हजफ किया जाकर अपीलांट का सही नाम सुमेर चन्द पुत्र हीरालाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बैजूपाड़ा को करें।

2. अपील को दर्ज रजिस्टर करके रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामील के बावजूद, रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 ने न्यायालय में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अपील में वर्णित अभिवचनों के सम्बन्ध में, तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 17.10.2025 के अनुसार, ग्राम बालाहेडा के खाता संख्या 297 के खसरा सं. 2433/2890, रकबा 0.01 हैक्टे., खाता सं. 357 के खसरा सं. 4173/2588, 4174/2432 ,कुल किता 02, कुल रकबा 0.41 हैक्टे. भूमि वर्तमान में क्रमशः लक्ष्मीनारायण सोमोत्या, हरसहाय पि. हारया जाति बैरवा व सोमोत्या पुत्र हारया जाति बैरवा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलान्ट का बोलता नाम सोमोत्या है जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र व आधारकार्ड में सुमेरचन्द पुत्र हीरालाल जाति बैरवा निवासी दिल्ली दर्ज है। अपीलान्ट का राशनकार्ड में नाम सोमोत्या पुत्र हारया अंकित है। वादी के पिता हारया पुत्र भूरया का विरासत नामान्तरकरण संख्या 38 दिनांक 19.09.1998 का तस्दीक हुआ है जिसमें लक्ष्मीनारायण, सोमोत्या हरसहाय पि. हारया दर्ज हुआ है।

3. अपील पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में वर्णित अभिवचनों को दोहराया तथा अपील को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. अपील पत्रावली, प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य दस्तावेजों यथा – तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत बालाहेडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 38 आदेश दिनांक 19.09.1998 का अवलोकन किया गया।

5. ग्राम पंचायत बालाहेडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 38 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नामान्तरकरण के द्वारा, हारया के फौत होने पर, ग्राम पंचायत बालाहेडा द्वारा उसके वारिसान लक्ष्मीनारायण, सोमोत्या, हरसहाय के नामों की प्रविष्ठी दर्ज की गयी। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम बालाहेडा के खसरा सं. 2433/2890, 4173/2588, 4174/2432 भूमि वर्तमान में क्रमशः लक्ष्मीनारायण सोमोत्या, हरसहाय पि.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

हारया जाति बैरवा व सोमोत्या पुत्र हारया जाति बैरवा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अपील पत्रावली के साथ प्रस्तुत आधार कार्ड, आवासीय पट्टा, बैंक पासबुक में सुमेरचन्द पुत्र हीरालाल दर्ज है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत बालाहेडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 38 आदेश दिनांक 19.09.1998 में हारया की विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। इसलिये उक्त नामान्तरकरण संख्या 38 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी सोमोत्या पुत्र हारया की हद तक अपास्त किया जाना उचित है।

आदेश

6. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बालाहेडा के द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 38 आदेश दिनांक 19.09.1998 को उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी सोमोत्या पुत्र हारया की हद तक निरस्त किया जाता है और प्रकरण को इस निर्देश के साथ तहसीलदार बैजूपाडा को प्रति प्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार बैजूपाडा उक्त नामान्तरकरण सं. 38 से सम्बंधित समस्त पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर उक्त नामान्तरकरण के द्वारा दर्ज प्रविष्ठी सोमोत्या पुत्र हारया के सम्बन्ध में जांच कर निर्णय पारित करे। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश की पालनार्थ लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 29.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)